

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 26.08.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत शीतलपुर- परसा- मकर पथ के कि०मी० 15.10 से 22.60 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण Under Economical Importance Head कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2149(अनु०) दिनांक-05.08.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: शीतलपुर-परसा-मकर पथ के कि०मी० 15.10 से 22.60 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण Under Economical Importance Head कार्य वर्ष 2013-14
2.2	एकरारनामा संख्या	: 11 SBD/2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹11,55,03,265.00
2.4	संवेदक का नाम	M/S Maa Rajeshwari Construction
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 11.10.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 10.09.2015
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 28.03.2016
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 28.03.2016

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) असमाजिक तत्वों के विरोध के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि स्थानीय माओवादियों द्वारा कार्य बन्द करने एवं लेवी के रूप में राशि की मांग की गई है। साक्ष्य के रूप में माओवादियों द्वारा दी गई पर्ची भी संलग्न किया गया था। उक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 110 दिनों तक कार्य में बाधा हेतु समयवृद्धि की मांग की गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में दिनांक 22.01.2015 से 17.05.2015 तथा 17.05.2015 से 30.06.2015 तक कुल 102 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (ii) वर्षा एवं बाढ़ के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि वर्षा एवं बाढ़ के कारण जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 तक कुल 91 दिनों तक कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी 91 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।
- (iii) विधान सभा चुनाव 2015 के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव के कारण कार्य में विलंब हुआ। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 7 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 200 दिनों अर्थात् दिनांक 28.03.2016 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:


कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 28.03.2016 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2149(अनु०) दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत शीतलपुर- परसा- मकर पथ के कि०मी० 15.10 से 22.60 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण Under Economical Importance Head कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-11 SBD/2014-15) हेतु दिनांक 28.03.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-144/2019- 6630(६) पटना, दिनांक- 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।